बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 180198 पटना, दिनांक 11-03-2014

ग्रा.वि.-8(थ0)-128/2011

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
आयक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निधि प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में ।**

प्रसंगः- 1. विभागीय पत्रांक 156747 दिनांक 22.07.2013 ।
2. भारत सरकार का पत्रांक J-12038/1/2013- MGNREGA (RE V) दिनांक 16.12.2013.

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के द्वारा मनरेगा अन्तर्गत निधि प्रबंधन के संबंध में कतिपय निर्देश दिए गये हैं उनका कृपया संदर्भ लिया जाय । (सुलभ प्रसंग हेतु प्रतियां संलग्न) ।

भारत सरकार के पत्र के आलोक में तथा भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्ति में हो रही अप्रत्याशित विलम्ब के क्रम में निर्णय लिया गया है कि अब से :-

I. पंचायत की निधि 1 लाख रूपये से कम होने की स्थिति में छोटे पंचायत को 3 लाख तथा बड़े पंचायत को 5 लाख रूपये की राशि निधि प्रबंधक द्वारा, हर मामले में, जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर राशि अंतरित किया जाएगा ।

II. पंचायत समिति के मामले में पंचायत समिति की निधि 1 लाख रूपये से कम होने की स्थिति में 10 लाख रूपये की राशि निधि प्रबंधक द्वारा, हर मामले में, जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त कर राशि अंतरित किया जाएगा ।

III. सेन्ट्रल बैंक को भेजे जाने वाले एडवाइस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि एडवाइस के सभी मामलो में जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का अनुमोदन प्राप्त है ।

IV. पंचायत में राशि एक लाख से कम है इसे CPSMS तथा MIS से अवश्य संपुष्ट कर लिया जाय । यह सजगता की महत्वपूर्ण व्यवस्था है । इस व्यवस्था का उद्देश्य निधि प्रवाह को रोकना नहीं है । CPSMS के अद्यतन होने में विलंब, MIS का तकनीकी कारणो से अद्यतिकरण नही हो पाना आदि के कारण यदि निधि प्रवाह बाधित होता है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक का दायित्व है कि पंचायत में राशि की उपलब्धता की स्थिति से संतुष्ट होकर कंडिका । एवं ॥ में निहित प्रावधानानुसार निधि उपलब्ध करायें ।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
आयुक्त, मनरेगा ।